उपखण्ड अधिकारी महोदय खण्ड का
अर्जुन - कैलाश बनाम मगनचन्द वाद कुल 63/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
21/10/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप./ अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी दौरे पर/अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पू. आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 22/11/19 को पेश हो।
22/11/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय प्रत्यर्थी अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 की ओर से जवाब पेश हुआ है जो शामिल मिसल किया जाता है बहस उभय पक्षकारान अधिवक्तागण की सुनी गयी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। दौरान बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि वाद ग्रस्त भूमिया प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पैतृक भूमियां है तथा कब्जा काश्त की भूमियां है उक्त भूमियों की खातेदारी अप्रार्थी सं० 1 के नाम दर्ज है अप्रार्थी नं० 1 ने अपने हक हिस्से की भूमियों का बेचान पूर्व में ही कर दिया था यानी अप्रार्थी नं० 1 के भूमि खसरा नं० 2911, 2921 कित्ता 2 रकबा 0.62 है० में से ½ हिस्सा यानी 0.31 है० खसरा नं० 2517, 2518, रकबा 0.36 है० में 0.12 है० अर्थात कुल 0.43 है० भूमियों का बेचान पहले बिना किसी आवश्यकता के बेचान कर चुका है। पैतृक भूमियों का कुल रकबा 1.28 है० है जिसमें से अप्रार्थी न० 1 का ¼ हिस्सा का ही हक हिस्सा है।

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	जिसमें से पु या 0.32 ही बेच सकता था लेकिन अप्रार्थी स०1 ने 0.43 है० का बेचान कर दिया है। अप्रार्थी स०2 व 3 अप्रार्थी स०1 से मिलकर बेचान पर उतारू है अतः अप्रार्थीगण को ~~अप्रार्थी~~ अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। जवाब में प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने कथन किया कि भूमि ख०न० 2508, 2517, 2518 रकबा 0.48 तन ग्राम कोटड़ी लुहारवास तहसील खण्डेला को पूर्व खातेदार से जरिये विक्रय लेख खरीद की है। इस प्रकार उक्त भूमि स्वअर्जित है। पैतृक नही है। भूमि ख०न० 2517, 2518 मे भूमि का विक्रय किया जाना कतई गलत है। पक्षकारान की पैतृक भूमि 2130/1, 2695 तन ग्राम कोटड़ी लुहारवास है। अतः प्रार्थीगण का प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज फरमाया जावे। हमने बहस वकील उभय पक्षकारान पर सगोर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी न०1 के नाम दर्ज भूमि ख०न० 2130/1, 2695 कुल रकबा 0.75 है० भूमि पैतृक है तथा भूमि ख०न० 2508 रकबा 0.12 है० स्वअर्जित	

उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	भूमि है। अत: प्रार्थीगण की प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि वाद ग्रस्त भूमि ख०न० 2130/1, 2695 कुल 0.75 है० तन ग्राम कोटड़ी लुहारवास तहसील खण्डेला का अप्रार्थीगण दौराने वाद राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे तथा भूमि ख०न० 2508 रकबा 0.12 है० तन ग्राम कोटड़ी लुहारवास तहसील खण्डेला स्वअर्जित होने होने के कारण दिनांक 24/9/18 को पारित आदेश को भूमि ख०न० 2508 तक से अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	(रणजीत सिंह) उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner